अतारांकित प्रश्न सं0 3041

लोक सभा

(22.3.2005 को उत्तर के लिए)

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

श्री हरिकेवल प्रसाद और
श्री सुनिल कुमार महतो

गृह राज्य मंत्री (श्री माणिक राव एच. गावीत)

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(क) व **(ख)** संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1967 (अधिसूचित 18 जनवरी, 1968) के अनुदेशों की अनुपालना में संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । इन लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई जाती है । इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2002-03 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 21.07.2004 को लोकसभा के पटल पर रखी गयी । इस मूल्यांकन रिपोर्ट की एक-एक प्रति सभी मंत्रालयों/ विभागों को भेजी जाती है ताकि वे इसमें दर्शाई गई कमियों को दूर करने के लिए समुचित उपाय कर सकें ।

(ग) क्या सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ग) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को सौंपी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23.12.2004 को मंत्रालयों को एक पत्र जारी किया गया जिसमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श देकर भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचने का निदेश दिया गया है ।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) सरकार की सुविचारित नीति यह है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और सदभावना से बढाया जाए ।